

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमति सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 79/2017

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री प्रकाश टाटिया पुत्र श्री पारसमल टाटिया उम्र 43 वर्ष
(एफबीओ/मालिक) फर्म :- मै. ऋषभ एन्टरप्राइजेज, दिवानों
की हवेली, घास मण्डी, जोधपुर निवासी प्लॉट नं. 101 तिलक
नगर प्रथम, भदवासिया, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 26.08.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स ऋषभ एन्टरप्राइजेज पता:- दिवानों की हवेली, घासमण्डी, जोधपुर पहुंच कर निरीक्षण करने दौरान घी (सीफाम) के 18 टिन आम जनता को विक्रय हेतु रखी थी। उक्त घी (सीफाम) के 15 किलोग्राम के टिन को हिला एवं मिला कर छेद करके 800 ग्राम घी (सीफाम) वास्ते जांच गिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रुपये 296/- नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा 800 ग्राम घी (सीफाम) को साफ सूखी कांच की शिशियों में हिला-मिला एक रूप कर बराबर-बराबर मात्रा (200 ग्राम) में भरा गया। चारों नमूना शिशियों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम-1224 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम-1224 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूने पर सिर से होते हुए नीचे पेटें तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग-अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार-चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूने के सिर पर एक पेटें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम-1224 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की। जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया। उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफावा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि घी (सीफाम) की चारों शिशियों के चारों नमूनों को अलग-अलग 2-2 भागों में एम-1224 की जांच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट एलएस 1008/एक्ट/2016/1023 दिनांक 01.09.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जांच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम-1224 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जांच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया की अप्रार्थी के द्वारा निर्मित कम्पनी से सही मानकर घी खरीद किया गया था। अप्रार्थी के पास मई में निर्मित घी का बिल तो मौजूद था। नमूना घी का बिल नहीं होने के कारण पेश नहीं किया जा सकता है। भविष्य में विक्रय हेतु खाद्य सामग्री खरीद करते समय गुणवत्ता का ध्यान रखा जायेगा। इस प्रकार अप्रार्थी ने अपनी गलती स्वीकार की।



5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी ने प्रकरण में अपना दोष स्वीकार कर लिया है। अतः वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी पाया जाता है। अतः अप्रार्थी पर शास्ती रूपये 15000.....अक्षरे रूपये ~~पन्द्रह हजार~~ की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 26/9.....के एक माह के अंदर-अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 26/9/17 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

क्रमांक:- न्यायिक/कोर्ट/2017/ 2001 - 2003

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री प्रकाश टाटिया पुत्र श्री पारसमल टाटिया उम्र 43 वर्ष (एफवीओ/मालिक) फर्म :- मै. ऋषभ एन्टरप्राइजेज, दिवानों की हवेली, घास मण्डी, जोधपुर निवासी प्लोट नं. 101 तिलक नगर प्रथम, भदवासिया, जोधपुर।



(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर 26/9/2017

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर